मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

(226)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम भारमल मीणा व अन्य

किस्म मुकदमा धारा-133 मु० नं० 05/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/19	पत्रावली पेश हुई पत्रोदार सरदार व अपार्थीगण उपस्थित पत्रोदार सरदार व अपार्थीगण को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया।	
	सहखातेदार द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया एवं मुताबिक सहमति पत्र अनुसार दुरस्ती करने का निवेदन किया गया, सहमति पत्र पर पत्रवादान व पटवारी, भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट की पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर की दुरस्ती करने का निवेदन किया गया है ऐसी स्थिति मुताबिक सहमति पत्र दुरस्ती किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दि. 23.2.19 की निर्णय व डिक्री का आधार रहेगा।	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खसरा नं. 27, 43 रकबा 2.9000 हैक्टेयर वाले ग्राम गिरधारीपुरा सिकराय के राजस्व रिकार्ड में सहमति पत्र दि. 23.2.19 के मुताबिक दुरस्ती करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। सहमति पत्र दि. 23.2.19 की निर्णय व डिक्री का आधार रहेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली	